रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2002/श्रावण 30, 1924
No. 388] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2002/SRAVANA 30, 1924

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2002

क्रम सं. पी सी-V/350

आर बी ई सं. 143/2002

सा.का.नि. 589(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2002 कहा जाएगा।

(2) इन्हें 1 जनवरी, 1996 से लागू माना जाएगा।

2. राजपत्र अधिसूचना सा.का.नि. 584(अ) ता. 8-10-97 की प्रथम अनुसूची में 775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 रु. के संशोधन पूर्व वेतनमान के स्थान पर 2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु. के नए बढ़े हुए वेतनमान को एस-2ए के रूप में अंतर्विष्ट किया जाए।

3. रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के नियम 7 के नीचे टिप्पणी 1 को आशोधित करते हुए, 1-1-96 को अथवा उससे पहले 775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 रु. के संशोधन-पूर्व वेतनमान में रेलवे बोर्ड सचिवालय के सभी समूह "घ" कर्मचारियों का वेतन 2610-60-2910-65-3300-70-4000 रु. के एस-2ए वेतनमान में निर्धारित किया जाएगा। 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी एस-2ए वेतनमान में वेतन के पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप कुछ मामलों में, कर्मचारियों का वेतन रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के नियम 7 के नीचे टिप्पणी 1 के अनुसार पहले निर्धारित किए गए वेतन से कम बनेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एस-2ए के वेतनमान में वेतन निर्धारण से किसी भी संबंधित कर्मचारी को वित्तीय हानि न हो, पहले निर्धारित किए गए वेतन और बढ़े हुए वेतनमान में पुनर्निर्धारण के कारण स्वीकार्य वेतन के बीच के अंतर के बराबर व्यक्तिगत वेतन प्रदान करते हुए वेतन को संरक्षित किया जाएगा। व्यक्तिगत वेतन को भविष्य की वेतनवृद्धियों में आमेलित कर लिया जाएगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2002 समूह "घ" सेवा/पदों के वेतनमान के संबंध में पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए बनाए गए हैं, इन नियमों को 1 जनवरी, 1996 से पूर्व व्यापी प्रभाव दिया जा रहा है, यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्व व्यापी प्रभाव दिए जाने से किसी कर्मचारी पर, जिन पर ये नियम लागू होते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं. पी सी V/97/आई/आर एम आर बी/1]

आर. आर. जारूहार, सचिव (रेलवे बोर्ड)

टिप्पणी :—

(i) मूल रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 सा.का.नि. सं. 584(अ) ता. 8-10-1997 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(ii) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 सा.का.नि. सं. 69(अ) ता. 5-2-1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(iii) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 1997 के लिए शुद्धि-पत्र सा.का.नि. सं. 72(अ) ता. 9-2-1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(iv) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2001 सा.का.नि. सं. 54(अ) ता. 24-1-2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(v) रेलवे सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2002 सा.का.नि. सं. 433(अ) ता. 18-6-2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2002

S. No. PC-V/350

RBE No. 143/2002

G.S.R. 589(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules in Amendment to the Railway Services (Revised Pay) Rules, namely :—

1. (1) These rules may be called Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2002.

(2) They shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1996.

2. The new elongated pay scale of Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000 may be inserted as S-2A in replacement of the pre-revised pay scale of Rs. 775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 in the first schedule of Gazette Notification G.S.R 584(E) dated 8-10-97.

3. In modification of Note 1 below Rule 7 of the Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997, the pay of all Group 'D' employees in the Railway Board Secretariat in the pre-revised pay scale of Rs. 775-12-871-14-955-15-1030-20-1150 on or before 1-1-96 shall be fixed in the S-2A scale of pay of Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000. Re-fixation of pay with effect from 1st January, 1996 in the S-2A scale of pay would result, in a few cases, in the pay of employees being lower than what had already been fixed in terms of Note 1 below Rule 7 of RSRP Rules, 1997. In order to ensure that pay fixation in the S-2A pay scale does not result in monetary loss to any of the employees concerned, the pay shall be protected by the grant of Personal Pay equal to the difference between the pay already fixed and that admissible as a result of re-fixation in the elongated scale, the Personal Pay being absorbed in future increments.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2002 have been made to implement the recommendations made by the Fifth Central Pay Commission with respect to pay scales of Group 'D' Service/Posts. They are being given retrospective effect from 1st January, 1996. It is certified that the retrospective effect being given to these rules will not affect adversely any employee to whom these rules apply.

[No. PC-V/97/1/RSRP/1]

R. R. JARUHAR, Secretary (Railway Board)

Note :

(i) Original Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 vide G.S.R. No. 584(E) dated 8-10-1997.

(ii) Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 vide G.S.R. No. 69(E) dated 5-2-1998.

(iii) Corrigendum to Railway Services (Revised Pay) Rules, 1997 vide G.S.R. No. 72(E) dated 9-2-1998.

(iv) Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2001 vide G.S.R. No. 54(E) dated 24-1-2001.

(v) Railway Services (Revised Pay) Amendment Rules, 2002 vide G.S.R. No. 433(E) dated 18-6-2002.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.